The Infinite
An International Peer Reviewed / Refereed Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 5 | December 2024
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.in

# भारत और जापान में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययनः कानूनी सुरक्षा, कल्याण प्रणाली और सामाजिक चुनौतियाँ

**दीपक**

शोध छात्र, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय

**ARTICLE DETAILS**

**Research Paper**

**मुख्य शब्दः**

*वरिष्ठ नागरिक अधिकार, भारत और जापान में कानूनी सुरक्षा, बुजुर्गों के लिए कल्याण प्रणाली, वृद्ध आबादी की चुनौतियाँ, बुजुर्गों की सामाजिक चुनौतियाँ।*

**ABSTRACT**

यह लेख जापान और भारत में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की तुलना करता है, तथा दोनों देशों की वृद्ध आबादी के सामने आने वाले कल्याण कार्यक्रमों, कानूनी सुरक्षा उपायों और सामाजिक मुद्दों की जांच करता है। उनकी गरिमा और भलाई की रक्षा करने के उद्देश्य से संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा, भारत में वरिष्ठ नागरिकों को 'माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत सहायता प्रदान की जाती है। हालाँकि, अपर्याप्त प्रवर्तन और सामाजिक उपेक्षा के रूप में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जापान में, तेजी से बढ़ती उम्रदराज आबादी ने व्यापक कल्याण ढाँचों के विकास को जन्म दिया है, जैसे कि दीर्घकालिक देखभाल बीमा प्रणाली, जो सामुदायिक और परिवार–आधारित देखभाल के साथ राज्य के समर्थन को एकीकृत करती है। इन उपायों के बावजूद, जापान को वित्तीय तनाव और देखभाल करने वालों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कानूनी ढाँचों, कल्याणकारी नीतियों और न्यायिक व्याख्याओं की गहन जाँच के माध्यम से, यह अध्ययन वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में प्रत्येक देश की सफलताओं और कमियों पर प्रकाश डालता है। लेख में दोनों देशों का तुलनात्मक विश्लेषण भी दिया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक भूमिकाओं के प्रति उनके अलग–अलग दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके, अध्ययन में जापान के अनुभव से अंतर्दृष्टि का उपयोग करके भारत में वरिष्ठ नागरिक कल्याण और कानूनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।

**"जो समाज अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करता, वह अपनी जड़ों को नकारता है और अपने भविष्य को खतरे में डालता है।[1]"**

..... **नेल्सन मंडेला**

1. **परिचयः**

बुढ़ापा जीवन का एक अपरिहार्य चरण है जो व्यक्तियों, समाजों और सरकारों से समान रूप से विशेष ध्यान देने की माँग करता है। वरिष्ठ नागरिक अक्सर सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान के संरक्षक के रूप में काम करते हैं, फिर भी उन्हें आधुनिक समाजों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुरक्षा तक पहुँच से लेकर सामाजिक समावेश और दुर्व्यवहार से सुरक्षा तक हैं। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का महत्व न केवल न्याय का मामला है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतिबिंब है कि समाज अपनी बुजुर्ग आबादी को किस तरह महत्व देता है। जैसे–जैसे वैश्विक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों की गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानूनी ढाँचे और कल्याण प्रणाली विकसित करने की तत्काल आवश्यकता सर्वोपरि हो गई है।

**वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का अवलोकन :**

वैश्विक स्तर पर, वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या दुनिया की आबादी का 22 प्रतिशत होने की उम्मीद है।[2] यह जनसांख्यिकीय बदलाव देखभाल और समावेशन के माहौल को बढ़ावा देते हुए बुजुर्गों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और गरीबी से बचाने के लिए मजबूत नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जबकि मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, 2002 जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे बुजुर्गों के अधिकारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, कार्यान्वयन काफी हद तक राष्ट्रीय विधानों और सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता पर निर्भर करता है।[3] भारत में, पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएँ अक्सर बुजुर्ग सहायता प्रणालियों की रीढ़ बनती हैं, जिन्हें 'माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007'[4] जैसे कानूनों द्वारा समर्थित किया जाता है। हालाँकि, प्रवर्तन में अंतराल और बदलते सामाजिक मानदंड महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं। इसके विपरीत, जापानी सरकार द्वारा 2000 में शुरू

[1] नेल्सन मंडेला फाउंडेशन, नेल्सन मंडेला के उद्धरण, उपलब्ध है : https://www.nelsonmandela.org

[2] "जनसंख्या वृद्धावस्थाः जनसांख्यिकीय बदलाव को नियंत्रित करना" हेल्प एज इंटरनेशनल, उपलब्ध है–https://www.helpage.org/news/population-ageing-navigating-the-demographic-shift/ (अंतिम बार देखा गया मई 25, 2024 )

[3] मेड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, 2002, उपलब्ध है–https://www.un.org/development/ageing. (अंतिम बार देखा गया अगस्त मई, 2024 )

[4] माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 56),

की गई दीर्घकालिक देखभाल बीमा (एलटीसीआई) प्रणाली, देखभाल का बोझ परिवार से सामाजिक एकजुटता पर स्थानांतरित करके, लागत–साझाकरण के स्थान पर बीमा प्रीमियम को प्रतिस्थापित करके, तथा दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल और कल्याण सेवाओं को एकीकृत करके स्वास्थ्य में सुधार करती है। 2000 में जापान सरकार द्वारा शुरू की गई दीर्घकालिक देखभाल बीमा प्रणाली (LTCI)[5] परिवार की देखभाल के बोझ को सामाजिक एकजुटता में स्थानांतरित करके, बीमा प्रीमियम के साथ लागत–साझाकरण को स्थानांतरित करके और दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल और कल्याण सेवाओं को एकीकृत करती है।

**अध्ययन का उद्देश्यः** यह लेख भारत और जापान में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का तुलनात्मक विश्लेषण करता है, जो उनके कानूनी संरक्षण, कल्याण प्रणालियों और सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य यह उजागर करना है कि कैसे ये देश अपनी सफलताओं और कमियों से सबक लेते हुए बढ़ती उम्रदराज़ आबादी की जटिलताओं को संबोधित करते हैं। अध्ययन में प्रभावी बुजुर्ग देखभाल प्रणालियों को आकार देने में सांस्कृतिक मूल्यों, न्यायिक व्याख्याओं और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। इस तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से, लेख वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर व्यापक चर्चा में योगदान देने की इच्छा रखता है, देखभाल के न्यायसंगत और टिकाऊ मॉडल की वकालत करता है जो विभिन्न संदर्भों में बुजुर्गों की गरिमा और कल्याण को बनाए रखते हैं।

## 2.0. भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा :

**संवैधानिक प्रावधान** भारतीय संविधान में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सिद्धांत शामिल हैंः

- **अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)** के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।[6] जीवन और सम्मान के अधिकार की गारंटी देने वाला अनुच्छेद 21 अक्सर वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा से संबंधित मामलों में लागू किया जाता है।
- **अनुच्छेद 41 (काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार)** के तहत राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढापे, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।[7] अनुच्छेद 41 राज्य को वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के

[5] हिडेनोरि आरै "लॉन्ग–टर्म केयर सिस्टम इन जापान" उपलब्ध है– https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7533196 अंतिम बार देखा गया अगस्त मई, 2024 )

[6] भारत का सविधान, 1950 का अनुच्छेद 21

[7] भारत का सविधान, 1950 का अनुच्छेद 41

लिए सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर जोर दिया गया है। ***डॉ. अश्विनी कुमार* बनाम *भारत संघ और अन्य***[8] के मामले में बुजुर्गों के मौलिक अधिकारों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी।

**अन्य विधिक उपबन्ध** भारत में अन्य विधिक उपबन्ध विभिन्न अधिनियमों में दिये गये है–

- **माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007** वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित, यह अधिनियम[9] यह अनिवार्य करता है कि बच्चे या कानूनी उत्तराधिकारी अपने माता–पिता का भरण–पोषण करने के लिए बाध्य हैं। यह भरण–पोषण न्यायाधिकरणों[10] और वृद्धाश्रमा[11] की स्थापना का भी प्रावधान करता है। हालाँकि, बुजुर्गों में जागरूकता की कमी और न्यायाधिकरण के अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण प्रवर्तन असंगत बना हुआ है।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023[12] (बीएनएसएस) को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[13] के स्थान पर लागू किया गया है। बीएनएसएस की धारा 144 माता–पिता को कानूनी कार्यवाही के माध्यम से अपने बच्चों से भरण–पोषण का दावा करने की अनुमति देती है।[14]
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023** भारतीय न्याय संहिता, 2023[15] माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के संदर्भ में प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारत के अन्दर किये गये कुछ अपराधों जैसे अपराधिक बल , हमला ,चोरी, उद्यापन, लूट, बलात्कार, उपहति और अतिचार आदि की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। इसके साथ–साथ इस संहिता में सामान्य अपवाद भी दिए गए हैं। यह सभी प्रावधान वरिष्ठ व्यक्ति के संदर्भ में भी लागू होते हैं।
- **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956** हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 बुजुर्ग लोगों को अपने बच्चों से भरण–पोषण का दावा करने का कानूनी अधिकार देता है।[16]

---

[8] सिविल रिट याचिका संख्या 193/2016
[9] माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 56)
[10] माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 56), धारा 7
[11] माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का का अधिनियम 256), धारा 19
[12] भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46)
[13] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) धारा 125
[14] भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46) ) धारा 144
[15] भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 45)
[16] हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 76)

- **मुस्लिम पर्सनल लॉ** मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, बेटा और बेटी दोनों अपने गरीब माता–पिता का भरण–पोषण करने के लिए बाध्य हैं, यदि उनके पास ऐसा करने के साधन हैं।[17]

**2.1. न्यायालय के दृष्टिकोण का विश्लेषण** :

- ***सिमरत रंधावा* बनाम *पंजाब एवं हरियाणा राज्य*[18]** इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए। वृद्ध नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई गई व्यापक कार्य योजना का लक्ष्य है।
- ***अश्विनी कुमार* बनाम *भारत संघ*** [19] के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्देश जारी करके एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 की प्रयोज्यता को स्पष्ट किया। भारत सरकार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से वृद्धावस्था देखभाल, चिकित्सा सुविधाओं एवं वृद्धाश्रमों के बारे में जानकारी एकत्र करने एवं उसे एक स्थिति रिपोर्ट में संकलित करने का निर्देश दिया गया है। एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वृद्धों से संबंधित चिंताओं के बारे में जागरूकता बढाई जा सके।
- ***पांडुरंग भाऊराव दाभाडे* बनाम *बाबूराव बाबूराव*** [20] न्यायालय ने कहा कि धारा 125 खंड 1 के प्रावधान पर विचार करने के बाद यह हमारे लिए स्पष्ट है कि वे यह नहीं सोचते हैं कि वृद्ध, अशक्त माता–पिता जो स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं, उनका भरण–पोषण करने का दायित्व केवल तभी लागू किया जा सकता है जब बच्चों के बचपन के दौरान उनका भरण–पोषण करने और उनका पालन–पोषण करने के माता–पिता के दायित्व को पूरा किया गया हो।
- ***डॉ. श्रीमती विजया मनोहर अर्बत* बनाम *काशीराव राजाराम सवाई और अन्य*[21]** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125(1)(डी) के तहत एक पिता द्वारा अपनी विवाहित बेटी से भरण–पोषण का दावा करने वाला आवेदन पूरी तरह से विचारणीय है। यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक माता–पिता अपने बच्चों से भरण–पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं, बशर्ते कि दो शर्तें पूरी हों: (प) बेटे या बेटी के पास पर्याप्त साधन हों, और (पप) पिता या माता स्वयं अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हों। यह निर्णय लिया गया है कि

[17] कुरान 17:23–24 और सैयद खालिद राशिद, मुस्लिम लॉ (5वां संस्करण, 2020), पृष्ठ 145–147।
[18] सिविल रिट याचिका संख्या 4744/2018
[19] रिट याचिका (सिविल) संख्या 193/ 2016
[20] (1980) 82 बीओएम अल आर 116
[21] (1987) 2 एस सी सी 278

पर्याप्त साधन रखने वाली बेटी का भी अपने माता–पिता का भरण–पोषण करने का दायित्व है, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं।

**2.2. भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी प्रणालीः**

- **पेंशन योजनाएँ** भारत सरकार **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)** जैसी योजनाओं के तहत पेंशन प्रदान करती है, जो **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)** का हिस्सा है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को पेंशन दी जाती है. केंद्र सरकार हर महीने 200 रुपये का योगदान देती है, जबकि कुछ राज्य इस राशि में और भी अधिक राशि जोडते हैं।[22]
- **स्वास्थ्य सेवा योजनाएँ** वरिष्ठ नागरिकों को **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)** जैसी स्वास्थ्य–केंद्रित पहलों से लाभ मिलता है, जो कम आय वाले परिवारों के लिए कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा प्रदान करती है। बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवा को **राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE)** के तहत भी बढावा दिया जाता है। इस कार्यक्रम में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ शामिल हैं, जो आयु–विशिष्ट चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।[23]
- **कल्याण गृह और डेकेयर सेंटर** बुजुर्गों के लिए कल्याण गृह और डेकेयर सेंटर **वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPOP)** के तहत स्थापित किए जाते हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, आश्रय और मनोरंजक गतिविधियाँ प्रदान करना है।[24]यह कार्यक्रम बुजुर्गों के कल्याण की दिशा में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का भी समर्थन करता है।
- **कर लाभ** वरिष्ठ नागरिकों को **आयकर अधिनियम, 1961** के तहत कर लाभ मिलता है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति उच्च कर छूट सीमा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के (सुपर वरिष्ठ नागरिक) अतिरिक्त रियायतों का आनंद लेते हैं।[25]

---

[22] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत। उपलब्ध है– https://www.myscheme.gov.in/schemes/nsap-ignoaps

[23] बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. उपलब्ध है– https://www-mohfw-gov-in

[24] वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उपलब्ध है– https://socialjustice-gov-in

[25] आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 43) एस 80 टी टी बी

- **रिवर्स मॉर्गेज लोन** रिवर्स मॉर्गेज एक वित्तीय उत्पाद है जो वरिष्ठ नागरिकों को समय–समय पर भुगतान के बदले में अपने घरों को बैंकों में गिरवी रखकर अपनी आय को पूरक करने की अनुमति देती है। यह योजना बुजुर्गों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।[26]
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।[27]

**2.3. कार्यान्वयन में चुनौतियाँ :**

**2.3.1. कानूनी प्रावधानों में**

- **प्रवर्तन में अंतराल** माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम के बावजूद, कई वरिष्ठ नागरिक अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। भरण–पोषण न्यायाधिकरणों में अक्सर पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है।
- **भरण–पोषण के लिए वित्तीय सीमा** – माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम की महत्वपूर्ण बाधा यह है कि इसमें प्रति माह अधिकतम 10000 रुपये भरण–पोषण राशि का दावा किया जा सकता है। यह व्यक्तियों को इस प्रावधान के तहत राहत मांगने से हतोत्साहित करेगा।[28]
- **ग्रामीण–शहरी विभाजन** शहरी बुजुर्गों के कानूनी उपायों तक पहुँचने की संभावना अधिक होती है, लेकिन वे सामाजिक अलगाव से पीडि़त होते हैं, जबकि ग्रामीण आबादी न्यायाधिकरणों तक पहुँचने में तार्किक बाधाओं का सामना करती है। राज्य–स्तरीय असमानताएँ इन मुद्दों को और बढ़ा देती हैं।
- **सांस्कृतिक चुनौतियाँ** भारत में, सामाजिक मानदंड बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को हतोत्साहित करते हैं, ऐसे उपायों को वर्जित मानते हैं। यह सांस्कृतिक हिचकिचाहट वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के प्रवर्तन को और जटिल बनाती है।
- **स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां** वरिष्ठ नागरिकों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं खराब दृष्टि, हृदय संबंधी समस्याएं, गठिया तथा मधुमेह संबंधी इत्यादि समस्याएं में अधिक मात्रा में पाई जाती है

---

[26] उपलब्ध है– https://www.nhb.org.in/RML/RML_Index.php

[27] https://www.india.gov.in/spotlight/rashtriya-vayoshri-yojana

[28] एजवेल फाउंडेशन, इन स्पेशल कंसलटेंटिव स्टेटस विद इ सी ओ एस ओ सी एट यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ओल्डर पीपल इन इंडियाः एंन एसेसमेंट, 2011. https://social.un.org/ageing-working-group/documents/seventh/AgewellFoundationSubmission.pdf

- **सेवाओं का एकीकरण** स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी सुरक्षा के बीच समन्वय की कमी अतिरिक्त चुनौतियाँ पेश करती है, खासकर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा को व्यापक रूप से संबोधित करने में।
- **अकेलापन** तेजी से बढते शहरीकरण और प्रतिस्पर्धी जीवन शैली इत्यादि के कारण बुजुर्गों में अकेलापन जैसी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न हो रही है।[29]
- **बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार** दुरुपयोग है भारत में यह समस्या बढ रही है। एनजीओ हेल्प एज इंडिया द्वारा 1200 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष के अनुसार 2013 में 23 प्रतिशत बुजुर्गों को अपने बेटे और बहू द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पडा , 2014 में यह आंकडा 50 प्रतिशत तक बढ गया है। सर्वेक्षण में शामिल 51 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पडा, जो कि सबसे अधिक है व्यथित करने वाला।[30]

**2.3..2 .कल्याणकारी प्रावधानों में**

- **वित्तीय बाधाएँ** सरकारी योजनाएँ अक्सर अपर्याप्त निधि से ग्रस्त होती हैं। IGNOAPS के तहत पेंशन राशि जीवन की बढती लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिससे कई बुजुर्ग वित्तीय संकट में हैं। प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के कारण कल्याण कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन अक्सर कम कर दिया जाता है।
- **ग्रामीण पहुँच के मुद्दे** ग्रामीण क्षेत्रों को कल्याण लाभों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पडता है। गाँवों में कई बुजुर्ग व्यक्ति उपलब्ध योजनाओं से अनजान हैं या नौकरशाही बाधाओं का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में NPHCE के तहत वृद्धावस्था स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सीमित है।[31]
- **शहरी बनाम गैर–शहरी विभाजन** शहरी केंद्र डेकेयर सेंटर और अस्पताल जैसी कल्याण सुविधाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, गैर–शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे बुजुर्गों के लिए आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है। हेल्पएज इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि 65 प्रतिशत ग्रामीण बुजुर्ग शहरी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत की तुलना में परिवार के समर्थन पर निर्भर हैं।[32]

---

[29] एस के तिवारी "सीनियर सिटीजंसः प्रॉब्लम्स एंड चौलेंज" 1, 2015 उपलब्ध है – https://www.researchgate.net/publication/340828744_Senior_Citizens_Problems_and_Challenges

[30] एस के तिवारी "सीनियर सिटीजंसः प्रॉब्लम्स एंड चौलेंज" 2, 2015 उपलब्ध है – https://www.researchgate.net/publication/340828744_Senior_Citizens_Problems_and_Challenges

[31] एल.एम. वैष्णव, एस.एच. जोशी, ए.यू. जोशी "बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमः भारत में इसकी उपलब्धियों और चुनौतियों की समीक्षा" ऐन जेरिएट्रिक मेड रेस. 2022 उपलब्ध है– https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9535372/

[32] हेल्पगे इंडिया, स्टेट ऑफ एल्डर्ली इन रूरल इंडिया (2020) उपलब्ध है– https://www.helpageindia.org.

- **सामाजिक सुरक्षा अंतराल** विकसित देशों के विपरीत, भारत में बुजुर्गों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढाँचे का अभाव है। शहरीकरण और एकल परिवार की स्थापना के कारण पारंपरिक सहायता प्रणाली के रूप में परिवार पर निर्भरता कम हो रही है, जिससे कई वरिष्ठ नागरिक असुरक्षित हैं।
- **कार्यान्वयन की अडचनें** कल्याण कार्यक्रमों का कुशल निष्पादन भ्रष्टाचार, एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और अपर्याप्त निगरानी तंत्रों से बाधित है। लक्ष्यीकरण और पहचान प्रक्रियाओं में त्रुटियों के कारण कई योग्य लाभार्थी बाहर रह जाते हैं।

**3.0. जापान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा :**

- **बुजुर्गों के लिए सामाजिक कल्याण अधिनियम, 1963** जापान का बुजुर्गों के लिए सामाजिक कल्याण अधिनियम[33] 1963 बुजुर्ग देखभाल प्रणाली की आधारशिला है। इस अधिनियम का उद्देश्य वृद्धजनों के कल्याण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट करना, वृद्धजनों के लिए ऐसे उपायों को क्रियान्वित करना है जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के रखरखाव तथा उनकी आजीविका के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक हों, तथा इस प्रकार वृद्धजनों के कल्याण को बढावा देना है।[34]
- **बुजुर्गों की देखभाल के लिए संवैधानिक प्रावधान** जापान का संविधान सभी नागरिकों को बोलने, अभिव्यक्ति, एकत्र होने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस संविधान द्वारा लोगों को दी गई स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी लोगों के निरंतर प्रयास से बनी रहेगी, जो इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों के किसी भी दुरुपयोग से बचेंगे और लोक कल्याण के लिए उनका उपयोग करने के लिए हमेशा जिम्मेदार होंगे।[35]
- **'वृद्ध समाज के लिए उपायों पर मूल कानून, 1995[36]** हालाँकि जापान के संविधान में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन देश बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अपने बुनियादी अधिनियम **'वृद्ध समाज के लिए उपायों पर मूल कानून, 1995[37]** के जरिए बुजुर्गों की देखभाल करता है। यह अधिनियम व्यापक तरीके से वृद्ध समाज से उचित तरीके से निपटने के उपायों (जिसे आगे 'वृद्ध समाज के लिए उपाय' कहा जाएगा) को बढावा देने के लिए बनाया गया है, इन उपायों के बुनियादी उद्देश्यों को स्थापित करके, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करके और उपायों की

[33] बुजुर्गों के लिए सामाजिक कल्याण अधिनियम (1963 का अधिनियम संख्या 133)
[34] बुजुर्गों के लिए सामाजिक कल्याण अधिनियम (1963 का अधिनियम संख्या 133), अनुच्छेद 1
[35] जापान का संविधान, 1947, अनुच्छेद 13
[36]वृद्ध समाज के लिए उपायों पर मूल कानून (1995 का अधिनियम संख्या129)
[37]वृद्ध समाज के लिए उपायों पर मूल कानून (1995 का अधिनियम संख्या129)

बुनियादी वस्तुओं को निर्दिष्ट करके। इस तरह, कानून देश की अर्थव्यवस्था और समाज के अच्छे विकास को बढावा देने और लोगों के जीवन की स्थिरता को बढाने का प्रयास करता है।[38]

- **वृद्ध व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम अधिनियम, 2005**[39] बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा को अपराध मानता है। यह देखभाल करने वालों को बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करता है और पीडितों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भेदभाव विरोधी उपाय बुजुर्गों को कार्यस्थल पर पक्षपात और सामाजिक बहिष्कार से बचाते हैं।

**3.1. न्यायालय के दृष्टिकोण का विश्लेषण :**

- **अनिवार्य सेवानिवृत्ति** जापान के सुप्रीम कोर्ट ने जून 2018 में फैसला सुनाया कि कुछ सीमाओं के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुमति है। न्यायालय ने विशेष रूप से पाया कि इस तथ्य के आधार पर कुछ भत्तों को कम करना 'तर्कसंगत' था कि कर्मचारी अब पेंशन–पात्र थे।[40] जापान में कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। हालाँकि, नियोक्ता अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित कर सकते हैं, बशर्ते यह 60 वर्ष से कम न हो।
- **डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्गों के परिजनों की जिम्मेदारी मामला** जापानी न्यायालयों ने समय–समय पर संविधान और कानूनों की व्याख्या जापान के लोगों के पक्ष में की है। डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्गों के परिजनों की जिम्मेदारी के मामले में, न्यायालय ने डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्गों के कानूनी अभिभावक और संरक्षक के बीच अंतर करने के लिए छह आधार निर्धारित किए हैं। न्यायालय ने माना है कि बुजुर्गों का संरक्षक उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्गों के तत्काल परिजन हमेशा रेलवे कंपनी के नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं।[41] जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमे में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या डिमेंशिया रोगी के परिवार के सदस्यों को, जो मृतक की देखभाल में शामिल थे, कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दुर्घटना के कारण हुई रेल सेवा में देरी के लिए मुआवजा देना चाहिए।[42]

---

[38] वृद्ध समाज के लिए उपायों पर मूल कानून (1995 का अधिनियम संख्या 129) अनुच्छेद 1

[39] वृद्ध व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम और वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने वालों के लिए सहायता अधिनियम (2005 का अधिनियम संख्या 124)

[40] जापानः सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट https://ogletree.com/international-employment-update/articles/june-2019/japan/2019-06-04/japan-supreme-court-rules-on-mandatory-retirement/#:~:text=The%20national%20retirement%20age%20is,so%20on%20fixed%2Dterm%20contracts.

[41] ग्लोबल लीगल मॉनिटर, जापानः डिमेंशिया से पीडित बुजुर्गों के परिजनों की जिम्मेदारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। https://www-loc-gov/law/foreign&news/article/japan&supreme&court&ruling&onliability&of&kin&of&elderly&with&dementia/ .

[42] https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japansupreme-court-ruling-on-liability-of-kin-of-elderly-with-dementia/

- **सनकावा मामला (1959)** सुनकावा मामले में 1959 जापान के सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें अनुच्छेद 9 की व्याख्या की गई थी इस मामले में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और सरकारी कार्रवाई की सीमाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया गया है।[43] अप्रत्यक्ष तरीके से व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण में इसमें बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण भी शामिल है।
- **LTCI सब्सिडी पर ओसाका जिला न्यायालय का फैसला, 2018** न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ओसाका शहर और अन्य उप–शहर संस्थाएं ओसाका प्रान्त के साथ एल.टी.सी.आई. की लागत साझा करने के लिए जिम्मेदार हैं।[44] न्यायालय ने एक वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे प्रक्रियात्मक खामियों के कारण LTCI सब्सिडी से वंचित किया गया था, जो कल्याण लाभों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दायित्व को रेखांकित करता है।

**3.2. जापान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण प्रणाली :**

- **दीर्घकालिक देखभाल बीमा प्रणाली (LTCI)** 2000 में शुरू किया गया जापान का LTCI एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो वृद्ध व्यक्तियों की दीर्घकालीन देखभाल के लिए लाभ प्रदान करता है।[45] लाभ, जिसमें संस्थागत, घर और समुदाय–आधारित सेवाएँ शामिल हैं, एक देखभाल प्रबंधक के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। यह कार्यक्रम सार्वजनिक है जो नगर पालिकाओं द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो प्रीमियम निर्धारित करती है और प्रदाताओं को लाइसेंस देती है। प्रदाता लाभ कमाने वाली कंपनियों से लेकर गैर–लाभकारी कंपनियों तक होते हैं। 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति आय के अनुसार अलग–अलग प्रीमियम का भुगतान करके इसमें योगदान करते हैं। सेवाओं के लिए शुल्क संघीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और हर तीन साल में एक बार उनकी समीक्षा की जाती है।[46]
- **सार्वजनिक पेंशन प्रणाली** जापान की दो–स्तरीय **राष्ट्रीय पेंशन (NP)** और **कर्मचारी पेंशन बीमा (*EPI*)** प्रणाली सेवानिवृत्त लोगों के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। NP सभी निवासियों को कवर करती है, जबकि EPI वेतनभोगी श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए है, जो उच्च लाभ प्रदान करता है। यह संरचना बुजुर्गों के बीच वित्तीय कमजोरियों को कम करती है।[47]

---

[43] *सनकावा मामला* 1959 (अ) 710

[44] ओसाका सिटी बनाम प्रीफैक्चर 2018

[45] शिन्या मात्सुडा, मीको यामामोटो, "जापान में वृद्धों के लिए दीर्घकालिक देखभाल बीमा और एकीकृत देखभाल", *इंटरनेशनल जनरल ऑफ इंटीग्रेटेड* केयर (2001)

[46] https://japanhpn.org/en/longtermcare/

[47] नेशनल पेंशन सिस्टम
https://www.nenkin.go.jp/international/japanese-system/nationalpension/nationalpension.html

- **समुदाय–आधारित एकीकृत देखभाल** 2000 में दीर्घावधि देखभाल बीमा की शुरुआत के बाद से कई वृद्ध वयस्क अपने समुदायों में रहना चाहते थे, दीर्घावधि देखभाल बीमा के तहत सेवाएँ अकेले उनके लिए घर पर रहना संभव नहीं बना पाएंगी। इसके जवाब में, स्वास्थ्य, चिकित्सा, दीर्घावधि देखभाल और कल्याण सेवाओं के बीच सहयोग में एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक तंत्र के रूप में 'समुदाय आधारित एकीकृत देखभाल प्रणाली' स्थापित करने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया ताकि वृद्ध वयस्क उन समुदायों में रहना जारी रख सकें जिनके वे आदी हैं।[48] यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य, नर्सिंग देखभाल, निवारक देखभाल, आवास और आजीविका सहायता किसी भी घर से 30 मिनट के भीतर उपलब्ध हो।
- **कर और रोजगार नीतियाँ** सरकार कर लाभ और वरिष्ठ कर्मचारियों को काम पर रखने वाले व्यवसायों के लिए सब्सिडी के माध्यम से बुजुर्गों को रोजगार देने को प्रोत्साहित करती है। **सिल्वर ह्यूमन रिसोर्स सेंटर**[49] जैसे कार्यक्रम सेवानिवृत्त लोगों को अंशकालिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी को बढावा मिलता है।

### 3.3. कार्यान्वयन और प्रभावशीलता :

- **विकेंद्रीकरण के माध्यम से कुशल कार्यान्वयन** जापान का विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि नगरपालिकाएँ स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कल्याणकारी सेवाएँ तैयार करें। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्र उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र अपनी जनसांख्यिकीय संरचनाओं के कारण घर–आधारित देखभाल पर जोर देते हैं। LTCI नीतियों में सरकार द्वारा किए जाने वाले वार्षिक संशोधन वृद्ध आबादी की उभरती जरूरतों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- **पहुंच और समावेशिता** LTCI प्रणाली कम आय वाले व्यक्तियों के लिए देखभाल लागत में सब्सिडी देकर समावेशिता को बढावा देती है। हालाँकि, समान पहुँच सुनिश्चित करने में अंतराल बना हुआ है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए। समुदाय–आधारित सेवाओं का विस्तार करके इन असमानताओं को दूर करने के प्रयास चल रहे हैं।
- **बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का मुकाबला करने में प्रभावशीलता** बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम अधिनियम ने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता और रिपोर्टिंग में सुधार किया है। सार्वजनिक अभियान और देखभाल करने वालों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण ने कानून के बेहतर प्रवर्तन में योगदान दिया है। हालाँकि, सांस्कृतिक कलंक और पारिवारिक प्रतिशोध के डर के कारण कम रिपोर्टिंग के मामले जारी हैं।

[48] जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी "कम्युनिटी–बेस्ड इंटीग्रेटेड केयर इन जापान कृसुग्गेस्टियन्स फॉर डेवलपिंग कन्ट्रीज फ्रॉम केसेस इन जापान" (अगस्त, 2022)

[49] https://www.pref.saga.lg.jp.e.zg.hp.transer.com/kiji00332961/index.html

- **वृद्ध समाज में चुनौतियाँ** जापान दुनिया के सबसे तेजी से वृद्ध होते समाजों में से एक होने के कारण अनूठी चुनौतियों का सामना कर रहा है। दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं की बढती माँग कार्यबल पर दबाव डालती है, जिससे विदेशी देखभाल करने वालों पर निर्भरता बढती जा रही है। इसके अतिरिक्त, LTCI प्रणाली को इसकी उच्च लागत और नौकरशाही जटिलताओं के लिए आलोचना का सामना करना पडा है, जिसके कारण इसमें निरंतर सुधार किए जा रहे हैं।
- **न्यायिक और प्रशासनिक सहायता** जापानी न्यायालयों ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उभरते मुद्दों को कवर करने के लिए कल्याणकारी कानूनों की व्यापक व्याख्या की है। प्रशासनिक एजेंसियाँ कडी निगरानी और आवधिक मूल्यांकन के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं।
- **बुजुर्गों की देखभाल की उच्च लागत** LTCI के व्यापक कवरेज के बावजूद, परिवारों के लिए जेब से खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जिन्हें विशेष सेवाओं की जरूरत होती है। स्वास्थ्य सेवा के बढते खर्च से सरकार और व्यक्तियों दोनों पर वित्तीय दबाव पडता है।
- **देखभाल करने वालों की कमी** जापान में घटते कार्यबल के कारण देखभाल करने वालों की भारी कमी है। विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने और देखभाल सुविधाओं में स्वचालन शुरू करने के प्रयासों से मदद मिली है, लेकिन बढती मांग को पूरा करने के लिए ये अपर्याप्त हैं।
- **युवा पीढी पर दबाव** जापान के युवाओं पर दबाव बढ रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक युवा अपने बुजुर्ग परिवार के सदस्यों की देखभाल कर रहे हैं। कर योगदान, सामाजिक बीमा प्रीमियम और देखभाल की जम्मिदारियों में वृद्धि युवा नागरिकों में आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करती है।[50]
- **ग्रामीण और शहरी विभाजन** ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण सेवाओं तक पहुँच शहरी केंद्रों से पीछे है। दूरदराज के क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर पर्याप्त देखभाल पाने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे सेवा वितरण और जीवन की गुणवत्ता में असमानताएँ पैदा होती हैं।

**4. तुलनात्मक विश्लेषण :**

- **कानूनी सुरक्षा की तुलना** भारत और जापान ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा को संबोधित करने के लिए अलग–अलग कानूनी ढाँचे विकसित किए हैं, जो उनके अनूठे सामाजिक मूल्यों और चुनौतियों को दर्शाते हैं। **भारत के माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007** में बच्चों के कर्तव्य पर जोर दिया गया है कि वे अपने बुजुर्ग माता–पिता की देखभाल करें, अगर वे ऐसा करने में

[50] बास्टियन हार्थ,." जापान के बुजुर्गों की देखभालः युवा दबाव में" 2020 https://socialprotection.org/discover/blog/caring-japan-elderly-youth-under-pressure

विफल रहते हैं तो उनके पास कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। जबकि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और परित्याग को संबोधित करने का प्रयास करता है, इसे लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पडता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ सामाजिक मानदंड और संसाधन कानून के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर, बुजुर्गों के लिए जापान की कानूनी सुरक्षा राज्य की भागीदारी पर अधिक केंद्रित है। **बुजुर्ग कल्याण कानून और दीर्घकालिक देखभाल बीमा (LTCI)** प्रणाली बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण दोनों पर ध्यान केंद्रित करती है। LTCI, विशेष रूप से, एक राज्य–वित्तपोषित प्रणाली है जो बुजुर्गों की अधिकांश देखभाल आवश्यकताओं को कवर करती है, जिसमें लंबे समय तक अस्पताल में रहना और घर पर स्वास्थ्य सेवा शामिल है। जापान का दृष्टिकोण अधिक संस्थागत है, जिसमें देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच पर अधिक जोर दिया जाता है, भले ही वह देखभाल करने वालों की कमी और बढती देखभाल लागत से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा हो। जबकि दोनों देशों में कानूनी ढांचे मौजूद हैं, भारत की पारिवारिक समर्थन पर निर्भरता प्रवर्तन को कठिन बनाती है, जबकि जापान में अधिक संस्थागत मॉडल है, लेकिन उसे उम्रदराज कार्यबल और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों से निपटना होगा।

- **न्यायिक विश्लेषण** भारतीय अदालतें अक्सर पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि जापानी अदालतें संस्थागत ढांचे और सरकारी जवाबदेही पर जोर देती हैं। भारतीय फैसलों का उद्देश्य पारंपरिक देखभाल मानदंडों को बनाए रखना है, जापानी न्यायशास्त्र सामाजिक परिवर्तनों के जवाब में राज्य समर्थित कल्याण प्रणालियों की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- **कल्याण प्रणालियों की तुलना** वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की कल्याण प्रणाली मुख्य रूप से **कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ**) और **राष्ट्रीय वयोश्री योजना** जैसी पेंशन योजनाओं के साथ–साथ राज्य द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों के इर्द–गिर्द घूमती है। हालांकि, इन कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता वित्तीय बाधाओं और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमान वितरण के कारण सीमित हैं। परिवार–आधारित देखभाल पर निर्भरता भी प्रचलित है LTCI प्रणाली घर पर जाकर इलाज करवाने से लेकर संस्थागत देखभाल तक कई तरह की सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है, जिसका वित्तपोषण बुजुर्गों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और कामकाजी उम्र के नागरिकों के योगदान से होता है। जापान उदार सार्वजनिक पेंशन भी प्रदान करता है और उसने अपने स्वास्थ्य सेवा तंत्र में बुजुर्गों की देखभाल को एकीकृत किया है। हालाँकि, सिकुडते कार्यबल और देखभाल करने वालों की कमी जैसी चुनौतियाँ इन प्रणालियों की स्थिरता को खतरे में डालती हैं। जापान की प्रणाली अधिक व्यापक और सुलभ है, लेकिन दोनों देशों को बुजुर्ग आबादी का समर्थन करने के आर्थिक तनाव को दूर करने की आवश्यकता है।

- **दोनों देशों के लिए चुनौतियाँ** भारत और जापान दोनों को अपनी बुजुर्ग आबादी से निपटने में समान चुनौतियों का सामना करना पडता है। भारत में, सामाजिक अलगाव, गरीबी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की कमी बुजुर्ग नागरिकों के लिए प्रमुख मुद्दे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जापान तेजी से बूढी होती आबादी के आर्थिक बोझ का सामना कर रहा है, जो इसकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और कार्यबल पर दबाव डालता है, जिससे इसके सामाजिक सुरक्षा जाल की स्थिरता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। हालाँकि दोनों देशों ने अपने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन उन्हें बुजुर्ग आबादी द्वारा उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।

**5. निष्कर्ष और सुझाव :**

भारत और जापान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा और कल्याण प्रणालियों की तुलना करने पर, कई महत्वपूर्ण अंतर और समानताएँ सामने आती हैं। जापान का दृष्टिकोण अधिक राज्य–केंद्रित है, जिसमें दीर्घकालिक देखभाल बीमा प्रणाली और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसे व्यापक कानूनी ढाँचे हैं जो बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं। भारत का कानूनी ढाँचा, कुछ मामलों में प्रगतिशील होते हुए भी, परिवार–आधारित समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर करता है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवर्तन और पहुँच में चुनौतियों का सामना करता है। दोनों देश बुजुर्ग आबादी के आर्थिक तनाव, बढती स्वास्थ्य सेवा लागत और स्थायी देखभाल समाधानों की आवश्यकता जैसी समान चुनौतियों को साझा करते हैं। हालाँकि, जापान बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं को संस्थागत बनाने में अधिक सफल रहा है, जबकि भारत की प्रणाली खंडित और कम वित्तपोषित बनी हुई है।

- **भारत में कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना** भारत जापान की स्ज्ब्ब् प्रणाली के समान वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए अधिक संस्थागत दृष्टिकोण अपनाने से लाभान्वित हो सकता है। इसमें पेंशन और सामाजिक कल्याण योजनाओं के कवरेज का विस्तार करना, साथ ही वृद्धाश्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धन बढाना शामिल हो सकता है।
- **पहुंच और समानता में सुधार** भारत में प्राथमिक चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कानूनी और कल्याण सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकें। सरकार बुनियादी ढांचे और आउटरीच में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी बुजुर्ग नागरिक, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों, उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके।

- **कार्यबल विकास** जापान की बढती उम्र की आबादी के कारण देखभाल करने वालों की कमी हो गई है। भारत देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करके और बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके जापान के दृष्टिकोण से सीख सकता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन** भारत बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढा सकता है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान को बढावा देने वाले सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित कर सकता है। केवल परिवार की देखभाल पर निर्भर रहने से समुदाय–आधारित सहायता प्रणालियों को प्रोत्साहित करने की ओर बदलाव भी फायदेमंद हो सकता है।
- **राज्य और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग** दोनों देशों में, राज्य निजी संस्थाओं के साथ मिलकर टिकाऊ, उच्च–गुणवत्ता वाली देखभाल मॉडल बना सकते हैं। सार्वजनिक–निजी भागीदारी सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकती है जबकि यह सुनिश्चित कर सकती है कि बुजुर्ग नागरिकों को उच्च–गुणवत्ता वाली देखभाल मिले।

इन रणनीतियों को लागू करके, भारत में बुजुर्गों की देखभाल और कल्याण प्रणालियों में जापान की सफलताओं से प्रेरणा लेते हुए अपनी बुजुर्ग आबादी की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते है।